(8)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 282/2018
GCMS CASE NO-2018/00284

दायर दिनांक– 11.09.2018

उस्नाक अली पुत्र जानु खां जाति मुसलमान निवासी विरधवाल हैड तहसील सूरतगढ़

––प्रार्थी

वनाम

1. कांसम खां पुत्र युसुफ खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

––अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अ0धारा 14(4)राज. भू.राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)1970

उपस्थितः–
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी एवं श्री कैलाश पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ विश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1
3. तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.10.2024

शिकायत के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी उस्नाक अली ने हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 कांसम पुत्र युसफ खां के नाम से तहसील सूरतगढ़ के ग्राम उदयपुर मुसलमान के खसरा नम्बर 99 में 5.060 हैक्टेयर यानि 20 वीघा वारानी भूमि आवंटन हैं, जो दिनांक 28.07.2008 को अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से खातेदारी करवा ली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके रोही उदयपुर मुसलमान में खसरा नम्बर 99 में 5.060 हैक्टेयर बारानी भूमि बिना कब्जा काश्त के पूर्व में न्यायालय आंवटन एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ से जरिये मिसल संख्या 424 निर्णय दिनांक 02.05.2007 को झुठे तथ्य प्रस्तुत कर पुख्ता आवंटन करवाकर आवेदन पत्र टी.सी. पुख्ता मि.स. 224/7 में दिनांक 07.05.2007 को पुख्ता आवंटन आदेश जारी करवा लिया, जो राज्य सरकार को धोखा देकर प्राप्त किया गया हैं। शिकायतकर्ता की यह शिकायत भी हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 6 एम.सी. की जमावंदी के खाता संख्या 41/31 में 4.040 हैक्टेयर नहरी व चक 5 एम.सी. के खाता संख्या 67/62 में 4.791 हैक्टेयर नहरी भूमि व रोही उदयपुर मुसलमान की जमाबंदी के खाता संख्या 6 में 4.732 हैक्टेयर बारानी में 1/3 हिस्सा भूमि वर वक्त पुख्ता आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 ने सही तथ्य पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र में नहीं किये। अप्राथी संख्या 1 ने रोही उदयपुर मुसलमान की रोही में खसरा नम्बर 99 में 5.060 हैक्टेयर भूमि राज्य कर्मचारियों की मिलीभगत से पहले टी.सी. पर आंवटन करवाया व रकबा डी–कॉलोनी में घोषित होने के वाद फर्जी तौर पर विना कब्जा काश्त के अपने नाम झूठी रिपोर्ट करवा कर दिनांक 28.07.2008 को अप्रार्थी संख्या 2 से खातेदारी करवा ली जवकि अप्रार्थी संख्या 1 का जैरप्रकरण भूमि खसरा नम्बर 99 की 5.060 हैक्टेयर पर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। आज भी मौका पर कब्जा काश्त की जांच करवाई जा सकती हैं। अप्रार्थी महज पेपर अलॉटी हैं व खातेदारी भी पेपर तक सीमित हैं, जमाबंदी में कभी अंकन हुआ ही नहीं चूंकि अप्रार्थी न. 1 का न तो कब्जा था व न ही मौका पर रकवा था। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होना इस वात का सवूत हैं कि अप्रार्थी का मौका पर जैरप्रकरण भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पर कभी कब्जा नही रहा हैं। अप्रार्थी न. 1 बहुत चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति हैं जिसने कर्मचारियों से मिलकर गलत टी.सी. आवंटन करवाया व कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने पर भी गलत रूप से खातेदारी जारी करवा ली। प्रार्थी शिकायतकर्ता को भी रोही उदयपुर मुसालमान के खसरा नम्बर 99 में 25.00 बीघा भूमि आवंटन के समय से कब्जा काश्त में हैं। अतः निवेदन हैं कि सारी बातो की जांच करके अप्रार्थी न. 1 के पक्ष में अप्रार्थी न. 2 द्वारा दिनांक 28.07.2008 को जारी की गई खातेदारी सनद मय अलोटमेंट खारिज किया जावे।

शिकायत दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामप्रताप तिवाडी उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई एवं संबंधित रिकार्ड मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2020 को जवाब शिकायत पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि शिकायत प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य व पटवारी हल्का व तहसीलदार से आयी रिपोर्ट व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात शिकायत को पूरी तरह से साबित करते हैं, वहीं मेरी बहस हैं। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जैर प्रार्थना रकबा के बदले न्यायालय उपखण्ड़ सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 254/2021 ब अनवान कासम खां बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 द्वारा तबादला ले लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार को धोखा दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी का आवंटन/खातेदारी एवं तबादला भूमि खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र गलत व गैरकानूनी व झुठे तथ्यो पर पेश की है। अप्रार्थी न. 1 को रकबा 35 वर्ष पूर्व टीसी आवंटन हुआ था जो टीसी से पुख्ता आवंटन एवं बाद में खातेदारी जारी हुई है। अप्रार्थी को रकबा खातेदारी हुए 11 वर्ष हो गये हैं जिस पर टी.सी. आंवटन के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। रकबा टीसी आवंटन के समय बारानी था व आज भी बारानी हैं। टी.सी. आवंटन के समय रकबा उबड़ खाबड़ व झाड़ झखांड़ वाला था जिसको सुधार कर काबिल काश्त किया गया हैं। टीसी से पुख्ता आवंटन के समय कब्जा काश्त एवं पात्रता की सम्पूर्ण जांच करके ही रकबा पुख्ता आवंटन किया गया था। पुख्ता आवंटन की किश्तों के दस हजार रूपये भी जमा करवाये हुए हैं। वर्ष सन् 2007–08 में रकबा डी–कॉलोनी घोषित करते हुए उपनिवेशन विभाग से बाहर कर दिया, जिससे जैरप्रकरण रकबा भू–राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 1970 के तहत आ जाने पर तहसीलदार अप्रार्थी न. 2 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी अधिकार अप्रार्थी न. 1 के पक्ष में जारी कर दिये गये। किसी पक्षकार को अप्रार्थी को आंवटित रकबा व खातेदारी से किसी को एतराज हैं तो वो उचित अदालत में अपील कर सकता हैं। रकबा खातेदारी हो गया हैं। खातेदारी रकबा को शिकायत के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता हैं। शिकायत झुठे तथ्यों पर आधारित होने से शिकायत निरस्त की जावे। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि माननीय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा के बदले में अन्य रकबा दे दिया गया है, जिससे यह शिकायत वैसे ही प्रभावशून्य हो जाने से शिकायत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने अपनी बहस में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो, रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़, का गहनता से अध्ययन किया गया व टी.सी. आवंटन नियमों व उपनिवेशन अधिनियम 1954 व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के आंवटन नियमों व धारा 14(4) का गहनता से अध्यन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस न्यायालय में विचाराधीन हस्तगत प्रकरण के जैर प्रकरण रकबा यथा ग्राम उदयपुर मुसलमान के खसरा न. 99 की 5.060 है0 के स्थान पर न्यायालय उपखण्ड़ सूरतगढ़ के समक्ष प्रकरण संख्या 254/2021 ब अनवान कासम खां बनाम राजस्थान सरकार दायर कर दिनांक 03.08.2023 को निर्णय एवं डिक्री पारित करवाकर स्वयं को चक उदयपुर मुसलमान खाता संख्या 1 पत्थर न. 96/10 मु0न0 14 किला न. 1 ता 8 में 2.024 है0 अ0क0 व पत्थर न. 96/18 मु0न0 15 किला न. 1/2 में 0.228 है0, किला न. 2 ता 9 में 2.024 है0, किला न. 10/2 में 0.025 है0, किला न. 14 ता 16 में 0.759 है0 में 3.036 है0 कुल 5.060 है0 अ0क0 का खातेदार कृषक घोषित करवा लिया एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्राप्त कर लिये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से ग्राम उदयपुर मुसलमान के खसरा न. 99 की 5.060 है0 के खातेदारी आदेश दिनांक 28.07.2008 मय अलॉटमेंट खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से होकर होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22 /10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner